




उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
23/19	136 L.R.A	कडुआवा	दुआडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
श्री किशन	बनाम	श्री धार	

वकील :- आदीश चन्द्र नोपार एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
13 ⁸ / ₀₁₉	अभिजातक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 L.R.A के तहत उक्त न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सारिस्ता का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज सजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्मत्त तलब कर पत्रावली दिनांक 18/9/09 के पेश हो।	4/11
18 ⁹ / ₀₁₉	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसील से रिपोर्ट अस्मत्त। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जावे। वरते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 21/11/09 के पेश हो।	
4 ¹¹ / ₀₁₉	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में न.पा. पुनोक व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 09/12/09 को पेश हो। <p style="text-align: center;">  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा), </p>	
14 ¹ / ₂₀	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11/2/20 को पेश हो। <p style="text-align: center;">  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा), </p>	
11 ³ / ₂₀	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23/3/20 को पेश हो। <p style="text-align: center;">  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा), </p>	

दिनांक

26/4/21

गरीब अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/4/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

26/5/21

कोरोना संक्रमण

गरीब अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/5/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

गरीब अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/5/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

12/4/21

पत्रावली आज प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के मध्य कडैचोवत पर पेश हुई प्रकरण में तहसीलदार इक्का से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार इक्का द्वारा प्राची का नामग्राम कडैचोवत के खाता सं. 290 व 317 एक ग्राम क्षेत्र के खाता सं. 191 में प्राची का प्रीकृष्ण के खात पर प्रीकृष्ण करने की अनुशंसा की गई है।

मुताबिक तहसीलदार इक्का की अनुशंसा के आधार पर उक्त वर्णित खाता संख्याओं में प्राची का नाम प्रीकृष्ण के खात पर प्रीकृष्ण राजस रिवाइ में प्रभल दायर करने के आदेश तहसीलदार इक्का को दिखे जाते हैं। आदेश पृथक से जारी होकर जापान किया गया। प्रकरण में कोई कार्यवाही अन्त अर्पित नहीं है। कार्यवाही इसी स्तर पर झोंप की जाती है। पत्रावली के संग डाबर दारिले दफ्तर है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारा (राज०)

“प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला = बारां

-: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हरका कडैथोवन व मू.अ.नि. 3153
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बारां/नायब तहसीलदार बारां की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की
 धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कडैथोवन, रवोपर तहसील-बारां जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077
 में खाता संख्या 290, 317, 191 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड
 में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	कडैथोवन रका.सं. 290 व 317 रवोपर रकाता सं० 191	रकाता सं० 290, 317 रकाता सं० 191	श्री कृष्णा पुत्र मंदर	श्री कृष्णा पुत्र मंदर श्री किशन पुत्र मंदर

[Signature]
 (मनीषा तिवारी)
 उपखण्ड न्यायालय अधिकारी
 छबड़ा, जिला बारां

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/20...../ कडैथोवन / 29

दिनांक 12/10/21

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार हरका को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री श्री विष्णु श्री मंदर R/कडैथोवन को सूचनायें।
3. रक्षित पत्रावली।

[Signature]
 उपखण्ड न्यायालय अधिकारी
 छबड़ा, जिला बारां